उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल।

प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र सं0–1649/2021

ज्योत्सना शर्मा ....याचक

बनाम

उत्तराखंड राज्य व अन्य ....उत्तरदाता

उपस्थितः

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री गौरव सिंह एवं श्री पवन मिश्रा।
श्री ललित मिगलानी, राज्य के अधिवक्ता

साथ

प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र सं0–674/2021

भूपेश चौहान ....याचक

बनाम

उत्तराखंड राज्य व अन्य ....उत्तरदाता

उपस्थितः

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री पवन मिश्रा।
श्री ललित मिगलानी, राज्य के अधिवक्ता
श्री पंकज मिगलानी, प्रतिवादी सं0–2 के अधिवक्ता।

निर्णय

प्रतिः माननीय रविन्द्र मैठानी, जे.

चूंकि इन दोनों याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उन्हें एक साथ लिया जाता है और इस एक ही निर्णय द्वारा निर्णीत किया जाता है।

2. इन दोनों याचिकाओं में आपराधिक मामला संख्या–834/2020 राज्य बनाम ज्योत्सना शर्मा व अन्य अंतर्गत धारा–306व 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, जिला हरिद्वार द्वारा चार्जशीट दिनांक 05.12.2020 और सम्मन आदेश दिनांक 11.12.2020 तथा मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई है।

3. सूचनाकर्ता (प्रतिवादी सं0–2) ने दिनांक 05.10.2020 को याचिकाकर्ताओं और अन्य दोनों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 व 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके मुताबिक, 05/06.10.2020 की दरम्यानी रात 12:30 बजे उसने देखा कि उसके बेटे विवेक शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को सूचना दी गई। शव को छत के पंखे से नीचे उतारा गया। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी मौत के लिए याचिकाकर्ता व अन्य को जिम्मेदार ठहराया था। याची भूपेश चौहान द्वारा मृतक को जान से मारने की धमकी दी गयी। मृतक मानसिक रूप से प्रताड़ित था और तनाव में था। यही प्राथमिकी है, जिसमें विवेचना के बाद याचिकाकताओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 और 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में दिनांक 11.12.2020 को याचीगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। इसमें आपत्ति जताई गई है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. मृतक याची ज्योत्सना शर्मा का पति था। ज्योत्सना शर्मा और उनके पति के बीच मुकदमा चल रहा था। याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा ने दिनांक 23.06.2020 को तलाक का मुकदमा दायर किया था। उसने दिनांक 05.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–125 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 भी दायर किया था। मृतक ने अक्टूबर, 2020 के महीने में आत्महत्या कर ली थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि सुसाइड नोट मृतक की लिखावट में था। याचिका के साथ सुसाइड नोट संलग्न है। सुसाइड नोट में इस प्रकार लिखा है–

. “मैं विवेक शर्मा पुत्र राजा राम शर्मा, दत्त कुटीर, कनखल हरिद्वार ने अपनी मृत्यु के लिए भूपेश चौहान को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि मेरा, मेरी पत्नी ज्योत्सना शर्मा से विवाद के कारण भूपेश चौहान मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी ज्योत्सना शर्मा को तलाक नहीं दे रहा हूं इसलिए वह मुझ पर दबाव बना रहा है कि मैं उसे

तलाक दे दूं, नहीं तो वह मुझे मरवा देगा। मैंने एस.एस.पी. को रिपोर्ट दी थी। कनखल हरिद्वार से इसकी पूछताछ की गई थी। इसकी पूछताछ दिनांक 14.02.2020 को लौ भाऊ आनंद मेहरा ने की थी। उसके बाद से भूपेश चौहान लगातार मुझे धमकी दे रहा है। मेरी मौत का कारण भूपेश चौहान है।''

विवेक शर्मा''

6. सुसाइड नोट में मृतक द्वारा एस.एस.पी. को दिए गए एक प्रार्थना पत्र का जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में यह भी दर्ज है कि मामले में पूछताछ दिनांक 14.02.2020 को की गई थी।

7. सूचनाकर्ता ने मृतक द्वारा एस.एस.पी. हरिद्वार को की गई शिकायत को परिशिष्ट 2 के रूप में प्रकीर्ण फौजदारी याचिका सं0–1649/2021 में दायर काउंटर शपथपत्र के साथ दायर किया था। यह काफी विस्तार से है। इसे पढ़ने से पता चलता है कि मृतक की इस शिकायत में याचिकाकर्ता भूपेश चौहान को याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा का बॉयफ्रेन्ड बताया गया है। मृतक की इस शिकायत के अनुसार याची ज्योत्सना शर्मा अपना अधिकांश समय याची भूपेश चौहान के साथ व्यतीत करती थी। ज्योत्सना शर्मा याचिकाकर्ता भूपेश चौहान के प्रभाव में थी और याचिकाकर्ता भूपेश चौहान के दबाव में ज्योत्सना शर्मा मृतक के खिलाफ झूठी शिकायत कर रही थी।

8. याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है; मृतक के साथ उसका वैवाहिक कलह था; उसने मृतक के विरूद्ध तलाक के लिए वाद और भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र दायर किया था। मृतक ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन केवल यह तर्क दिया गया है कि, क्योंकि याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा मृतक के साथ मुकदमे में थी जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 के तहत अपराध किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि सुसाइड नोट में याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा का नाम नहीं है; उसे किसी सकारात्मक कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक द्वारा आत्महत्या याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा के किसी कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम थी। यह तर्क दिया गया कि संज्ञान लेने का आदेश गलत है। अतः याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

9. याचिकाकर्ता भूपेश चौहान की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन के मामले को

पूरी तरह से स्वीकार कर लेने पर भी उकसाने का कोई आरोप नहीं है। तर्क दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के तहत अपराध है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता भूपेश चौहान के साथ कुछ विवाद होने पर भी मृतक के पास आत्महत्या के कृत्य से परावर्तन के लिए और कथित तनाव से बाहर आने के लिए पर्याप्त समय था। विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क देते हैं कि केवल सुसाइड नोट में किसी का नाम लेना ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है।

10. अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उन कानूनों व सिद्धांतों पर भी बल दिया जो कि संजू बनाम एम.पी. राज्य, (2002)5 एससीसी 371 और गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2020) 10 एससीसी 200 के मामले मेंअभिधारित किया गया है।

11. संजू (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में सुसाइड नोट पर निम्नानुसार पायाः–

''13. अगली और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मृतक द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट है।

अनुवादित प्रति इस अपील के साथ अनुलग्नक पी–1 के रूप में संलग्न है। यह निकाला जाता हैः

''सुसाइड नोट

दैनिक भास्कर
581, साउथ सिविल लाइंस,
जबलपुर।

एजेन्ट का नाम–सेंगर न्यूज एजेंसी
स्थान–गोशालपुर
प्रतियों की संख्या–409,
दिनांक
लेबल तैयार करने वाले का नाम

गोशालपुर सेंगर ने दहेज की मांग के तहत रिपोर्ट करने की धमकी दी है और परिवार के सदस्यों को शामिल करने की धमकी दी है इस वजह से मैं पूरे होश में लिख रहा हूं कि मेरी मौत के जिम्मेदार संजय सेंगर है। संजय सेंगर भी मुकराज सेनापति लूटा था संजय की।

सेंगर न्यूज एजेंसी
गोशालपुर
मुझे धमकी दी गई इसलिए मैं मर रहा हूं
सेंगर, गोशालपुर
मेरा नाम चंदर भूषण सिंह गौतम
चंदर भूषण सिंह गौतम
बबलू गौतम

मेरे होश में सेंगर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है।

माई मोती,

डार्लिंग माय मोती। तुम मेरे चुखो की देखभाल करो। मेरे प्यारे मोती नीलम सेंगर उर्फ चंदर भूषण सिंह गौतम, गांधीग्राम बुधागर।

मेरी मौत का जिम्मेदार सेंगर है

संजय सेंगर मेरी मौत का जिम्मेदार है

संजय सेंगर मेरी मौत का जिम्मेदार है

चंदर भूषण सिंह गौतम, गांधीग्राम बुधागर।''

''14. सुसाइड नोट को पढ़ने से स्पष्ट रूप से चला चलता है कि मृतक अत्यधिक तनाव और अवसाद में था। एक प्रशंसनीय कारण यह हो सकता है कि मृतक बिना किसी काम या व्यवसाय के था और उसी समय शराब पीने में लिप्त था जैसा कि पत्नी नीलम सेंगर के बयान से पता चलता है।'' वह एक निराशावादी व्यक्ति थे। सुसाइड नोट को पढ़ने से साफ पता चलेगा कि ऐसा नोट किसी स्वस्थ दिमाग और समझदार व्यक्ति की करतूत नहीं है।

....

....

यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, इसलिए कि मृतक दिनांक 25.07.1998 को हुए झगड़े से संबद्ध अपने स्वयं के आचरण का शिकार था, जहां अपीलकर्ता ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। रिकॉर्ड पर सामग्री की समग्रता और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अपरिवर्तनीय निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि यह कोई और नहीं, बल्कि मृतक ही स्वयं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है।''

12. गुरचरण वाद (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''जैसा कि सभी अपराधों में, आपराधिक मनःस्थिति साबित की जानी चाहिए। उकसाने के अपराध को

साबित करने के लिए, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–107 के तहत निर्दिष्ट है, मन :स्थिति अपराधीता निर्धारित करने के लिए एक विशेष अपराध करने के लिए दिखाई देना चाहिए। मनःस्थिति को साबित करने के लिए, यह स्थापित करने या दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ होना चाहिए कि अपीलकर्ता के पास दोषी दिमाग था और मन की उस स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए मृतक की आत्महत्या हेतु उकसाया गया था। मनःस्थिति के घटक को प्रकट रूप से होने की कल्पना नहीं की जा सकती है, बल्कि इसे दृश्यमान और विशिष्ट होना चाहिए।''

13. दूसरी ओर, विद्वान राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक और याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। वे विवाद में थे। याची ज्योत्सना शर्मा से इस विवाद के चलते याची भूपेश चौहान मृतक को जान से मारने की धमकी देता था। मृतक ने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया था और संक्षेप में बताया था कि कैसे उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। सुसाइड नोट में मृतक द्वारा एस.एस.पी. को दी गई शिकायत का जिक्र है। मृतक द्वारा एस.एस.पी. की दी गई शिकायत से पता चलता है कि दोनों याचिकाकर्ता रिलेशनशिप में थे। याची ज्योत्सना शर्मा मृतक से तलाक चाहती थी, जिसके लिए मृतक राजी नही था। इसी वजह से याची भूपेश चाहौन मृतक को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड़यंत्र का मामला है और इसलिये इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जैसा कि उदे सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2019) 17 एससीसी 301 के मामले में दिये गये कानूनी सिद्धांतों का हवाला दिया।

15. उदे सिंह (उपरोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

''16.1. यह पता लगाने के उद्‌देश्य से कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है, यह विचार किया जाएगा कि क्या अभियुक्त आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य का दोषी है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों में समझाया और दोहराया गया है। उकसाने का अर्थ है आगे बढ़ना, उकसाना या किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अति संवेदनशील थे और अभियुक्त की कृत्यों से सामान्य रूप से ऐसी ही परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित

करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन, दूसरी ओर, यदि अभियुक्त अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा करता है, जिससे मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं लगता है, तो मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 के दायरे में आ सकता है। यदि आरोपी पीड़ित के आत्म–सम्मान को ठेस पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में अभियुक्त की मन :स्थिति के प्रश्न की जांच अभियुक्त के वास्तविक कृत्यों और कार्यों के संदर्भ में की जाएगी और यदि कार्य और कर्म केवल ऐसी प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त का इरादा उत्पीड़न या स्नैप शो से अधिक कुछ नहीं है क्रोध के कारण, तब ऐसा मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से कम हो सकता है। हालांकि, अगर अभियुक्त मृतक को अपनी बातों या कामों से चिढ़ाता या परेशान करता रहा, जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उसे उकसाया गया, तो एक विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है। मानव व्यवहार के नाजुक विश्लेषण का मामला होने के कारण, प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर जांच करने की आवश्यकता होती है, जबकि अभियुक्त और मृतक के कार्यों और मानस पर प्रभाव डालने वाले सभी आसपास के कारकों पर ध्यान दिया जाता है।

16.2 हम यह भी देख सकते है कि मानव मन प्रभावित हो सकता है और असंख्य तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकता है और किसी के कार्य का दूसरे के मस्तिष्क पर प्रभाव अनेक असम्भाव्यताओं को वहन करता है। एक ही तरह के कार्यों की प्रतिक्रिया अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग तरीके से प्रदर्शित होती है और जहां तक किसी व्यक्ति विशेष की किसी अन्य मानव की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का संबंध है, उसका अनुमान लगाने या उसका आंकलन करने के लिए कोई विशिष्ट नियम या मानदंड नहीं है। यहां तक कि किसी लड़की के उत्पीड़न के सवाल से संबंधित कारकों के संबंध में भी कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे उम्र, व्यक्तित्व, पालन–पोषण, ग्रामीण या शहरी व्यवस्था, शिक्षा आदि। यहां तक कि छेड़खानी की बुरी कार्रवाई की प्रतिक्रिया और एक युवा लड़की पर इसका प्रभाव पृष्ठभूमि, आत्मविश्वास और पालन–पोषण सहित कई कारकों के लिए अलग–अलग हो सकता है। इसलिए, प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार देखे जाने की आवश्यकता है।

16. यह संहिता की धारा–482 के तहत एक याचिका है। इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसे आदेश करने के लिए किया जाता है जो संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के

लिए या किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यह अपने विस्तार में बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार है, लेकिन साथ ही कानून के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रेणी में निर्धारित किया गया है।

17. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम मैसर्स एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, और अन्य (2006) 6 एससीसी में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांतों को निम्नानुसार समाप्त कर दियाः–

''12. परिवाद और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा कई फैसलों में कहा और दोहराया गया है। कुछ का उल्लेख करने के लिए–

माधवराव जीवाजी राव सिंधिया बनाम संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे 1, हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 2, रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल 3, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4, बिहार राज्य बनाम राजेन्द्र अग्रवाल 5, राजेश बजाज बनाम दिल्ली के राज्य एनसीटी 6, मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड बनाम बायोलॉजिकल ई, लि0 7, हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य 8, एम कृष्णन बनाम विजय सिंह 9 और झंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. शराफुल हक 10, हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सिद्धांत यह है किः–

(i) एक शिकायत को रद्द किया जा सकता है, जहां शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, परंतु प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कथित मामला नहीं बनता है।

इस उद्देश्य के लिए, शिकायत की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, लेकिन आरोपों की योग्यता की जांच किए बिना। किसी शिकायत को रद्द करने के लिए प्रार्थना की जांच करते समय न तो विस्तृत जांच और न ही सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और न ही शिकायत में आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता का आंकलन आवश्यक है।

(ii) एक शिकायत को भी रद्द किया जा सकता है, जहां यह अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरूपयोग है, जैसे कि जब यह पाया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावना/द्वेष के साथ प्रतिशोधन लेने या नुकसान पहुंचाने के लिए शुरू की गई है, या जहां आरोप बेतुका और स्वाभाविक रूप से असंभव है।

(iii) परिवाद या आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की शक्ति, हालांकि, एक वैध अभियोजन पक्ष को दबाने या कमजोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। शक्ति का उपयोग संयम से और अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(iv) शिकायत में कथित अपराध के कानूनी अवयवों को शब्दशः पुनः पेश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शिकायत में आवश्यक तथ्यात्मक आधार केवल इस आधार पर रखा गया है कि कुछ अवयवों को विस्तार से नहीं बताया गया है तो कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत को रद्द करना तभी आवश्यक है, जब शिकायत में उन बुनियादी तथ्यों का भी अभाव हो, जो अपराध करने के लिए नितांत आवश्यक है।

(v) दिए गए तथ्यों का एक समूहः (ए) विशुद्ध रूप से एक सिविल अपकार हो सकता है; या (बी) विशुद्ध रूप से एक आपराधिक अपराध या (सी) एक सिविल अपकार और एक आपराधिक अपराध भी। एक वाणिज्यिक लेनदेन या एक संविदात्मक विवाद, सिविल कानून में उपाय खोजने के लिए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करने के अलावा, एक आपराधिक अपराध भी शामिल हो सकता है। चूंकि एक सिविल कार्यवाही की प्रकृति और दायरा एक आपराधिक कार्यवाही से अलग है, मात्र तथ्य यह है कि शिकायत एक वाणिज्यिक लेनदेन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है, जिसके लिए एक सिविल उपाय उपलब्ध है या इसका उपयोग किया गया है, यह अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आधार नहीं है। परीक्षण यह है कि सिविल शिकायत में आरोप एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।''

18. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 और 120बी के तहत संज्ञान लिया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 में आत्महत्या के लिए उकसाने पर सजा का प्रावधान है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः–

''306. आत्महत्या के लिए उकसाना–– यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के साथ दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।''

19. उकसाने को भारतीय दंण्ड संहिता की धारा–107 के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः–

''107. किसी बात का दुष्प्रेरण– एक व्यक्ति किसी बात के करने का दुष्प्रेरण करता है,

जो–

पहला– किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाता है, या दूसरा उस कार्य को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में और उस कार्य को करने के लिए कोई कार्य या अवैध लोप होता है या तीसरा– किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा, उस चीज को करने में जानबूझकर सहायता करता है।

स्पष्टीकरण– एक व्यक्ति, जो जानबूझकर गलत बयानी द्वारा या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छुपाने के द्वारा, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से करता है या खरीदता है, उकसाने के लिए कहा जाता है, उस चीज का करना या कारण या खरीद करने का प्रयास करता है।

20. राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 44, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ–साथ, कहा कि ''किसी मामले को धारा–306 भारतीय दंड संहिता के दायरे में लाने के लिए, आत्महत्या का मामला होना चाहिए और अपराध के कारित करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य द्वारा या आत्महत्या करने की सुविधा के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होनी चाहिए''।

21. शब्बीर हुसैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन 743 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखाः–

''5. मात्र घटना के समय के करीब अभियुक्त की ओर से बिना किसी सकारात्मक कार्रवाई के केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई, भारतीय दंड संहिता की धारा–306 (अमलेंदु पाल बनाम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707) के तहत अपराध नहीं होगा।

6. किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना तब होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ करने के लिए उकसाता है। उकसावे का अनुमान तब लगाया जा सकता है, जब आरोपी ने अपने कार्यों या चूक से ऐसी परिरिथतियां पैदा की कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। (चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), 2009 16 एससीसी 605)।''

22. अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, (2021) 2 एससीसी 427, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कानून पर आगे चर्चा की गई है। इस मामले

में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''इससे पहले कि यह कहा जाए कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए उकसाया, उन्होंने'' एक अधिनियम द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई होगी उकसाने या आत्महत्या करने की सुविधा के लिए कुछ कार्य करके'' माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को भड़काने या किसी कार्य को करने में जानबूझकर किसी व्यक्ति को जोड़ने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है।''

23. एक व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर देता है और धारा–306 भा0दं0सं0 के तहत उसकी मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ऐसे मामलों में उकसाना मृतक के दिमाग को नियंत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या वास्तव में एक आरोपी ने मृतक के दिमाग को नियंत्रित किया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

24. वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज है कि याचिकाकर्ता भूपेश चौहान द्वारा मृतक को जाने से मारने की धमकी दी गयी। प्राथमिकी के अनुसार, मृतक विवेक शर्मा की मौत के लिए याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा और अन्य भी जिम्मेदार थे। सुसाइड नोट के अनुसार याचिकाकर्ता भूपेश चौहान मृतक विवेक शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि मृतक याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा को तलाक देने को तैयार नहीं था, एसएसपी को दी गयी सूचना में, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र सं0–1649/2021 में अपने शपथपत्र में अनुलग्नक 2 के रूप में दायर किया है, में मृतक ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर स्पष्ट आरोप लगाए थे। उसने प्रतिवेदन दिया है कि याची ज्योत्सना शर्मा अपने अधिकांश समय याची भूपेश चौहान के साथ व्यतीत करती थी और वह याची भूपेश चौहान के प्रभाव में थी। यह भी दर्ज है कि बैंक में भी एक बार मृतक को अपमानित किया गया था, जिसके कारण उसका आत्मसम्मान कम हो गया था।

25. जांच अधिकारी (आई.ओ.) को दिए गए अपने बयान में, जो राज्य द्वारा जवाबी शपथपत्र के साथ दायर किया गया है, सूचनाकर्ता ने कहा है कि मृतक को याचिकाकर्ताओं द्वारा बहुत परेशान किया गया था। वह सूचनाकर्ता, जो मृतक का पिता है, के सामने रोता था। सूचनाकर्ता ने जांच अधिकारी को दिए अपने बयान में स्पष्ट रूप से जांच अधिकारी को बताया है कि याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा के याचिकाकर्ता भूपेश चौहान के साथ विवाहेत्तर संबंध थे, वे दोनों ज्यादातर समय कमरे के अंदर ही बिताते थे।

26. कार्यवाही के इस चरण में, यह न्यायालय साक्ष्य की Appriciation नहीं कर सकता है। समग्रता में परिस्थितियों को देखना होगा। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि

याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा का याचिकाकर्ता भूपेश चौहान के साथ विवाहेत्तर संबंध थे, वे कमरे में एक साथ बहुत समय बिताते थे; याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा मृतक को तलाक देना चाहती थी, जिससे वह सहमत नहीं था, आरोप है कि इसी कारण से याची भूपेश चौहान के कहने पर याची ज्योत्सना शर्मा ने मृतक के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। याचिकाकर्ता भूपेश चौहान ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी, ताकि उसे याचिकाकर्ता ज्योत्सना शर्मा को तलाक देने के लिए मजबूर किया जा सके।

27. यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल उत्पीड़न के बारे में बयान है। कड़ियों का अध्ययन करना होगा। क्या यह मामला है कि याचिकाकर्ता ने मृतक के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसने अंततः मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया? क्या याचिकाकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रोत्साहित किया था? यदि ऐसा है, तो उदे सिंह (उपरोक्त) पैरा 16.1 के मामले में निर्णय के मद्देनजर यह आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आता है। लेकिन, ये गहरे प्रश्न है, जिन्हें केवल विचारण के दौरान ही जांचा और स्थापित किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह न्यायालय आईओ को दिए गए गवाहों के बयान को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस स्तर पर, यह न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि प्राथमिकी में लगाए गए कथन झूठे या सही है। तथ्य यह है कि जांच के बाद, आईओ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनना पाया गया।

28. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो आरोप लगाए गए है, वे निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा–306 व 120बी के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते है। इसलिए इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तद्नुसार, याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य है।

29. दोनों याचिकाएं खारिज की जाती है।